पत्रांक–10/राज्य स्कीम आ0–29/2025 76 /आ.रा.,

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
पलामू।

राँची, दिनांक– 06-11-2025

विषय :– राज्य योजना मुख्यशीर्ष–2029–भू–राजस्व, लघुशीर्ष–102–सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य, उपशीर्ष–20–"मशीन, उपकरण एवं उपस्कर" इत्यादि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय हेतु "कार्यालय उपकरण" इकाई विपत्र कोड–40-S-2029-00-102-20-00-03-17 में कुल रू0 ₹80,00,000/–(अस्सी लाख) मात्र का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–2626/रा0, दिनांक–25.09.2025 एवं ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश संख्या–1192, दिनांक–25.09.2025 द्वारा प्राप्त स्वीकृति एवं उपायुक्त, पलामू के पत्रांक–102/नजा., दिनांक–07.04.2025 के आलोक में कुल ₹80,00,000/–(अस्सी लाख) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. इस राशि का ऑनलाईन आवंटन डी0डी0ओ0 कोड–PLMDAD 002 में दिया गया है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। इस संपूर्ण राशि के नियंत्री पदाधिकारी सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

4. मशीन–उपकरणों एवं उपस्करों की सूची तैयार करने के क्रम में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि ऐसी मशीन–उपकरणों एवं उपस्करों का क्रय प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा जिसका संबंधित कार्यालयों में आत्यधिक आवश्यकता हो। इसके अतिरिक्त मशीन–उपकरणों के संचालन हेतु प्रशिक्षित मानव संसाधन की व्यवस्था पूर्व से सुनिश्चित कर ली गई हो। कार्यालय उपकरण के अंतर्गत कम्प्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन, जेरोक्स मशीन, कार्यालय फर्नीचर, स्टेशनरी आदि का क्रय किया जाय।

5. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी।

6. जिन कार्यालयों के लिए स्थापना व्यय मद से उपरोक्त योजना हेतु राशि स्वीकृत है, इसके लिए उक्त हद तक इस राशि का व्यय नहीं किया जाएगा तथा इस राशि का लेखा अलग से संधारित किया जाएगा।

7. सभी कार्यालय आवंटन के अनुरूप वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए क्रय सुनिश्चित करेंगे। अनावश्यक रूप से अनुपयोगी मशीन–उपकरणों एवं उपस्करों का क्रय नहीं किया जाएगा अन्यथा इसके लिए संबंधित कार्यालय के प्रभारी पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।

कृ0पृ0उ0

8. मशीन–उपकरणों एवं उपस्करों का क्रय वित्त विभाग के परिपत्र/दिशानिर्देश के अनुरूप किया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र/व्यय प्रतिवेदन ससमय महालेखाकार कार्यालय एवं विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

10. क्रय के फलस्वरूप आपूर्तित मशीन–उपकरणों एवं उपस्करों की उचित प्रविष्टि संबंधित पंजी में संबंधित कार्यालय के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

11. योजना व्यय का विकलन राज्य स्कीम अंतर्गत विषयांकित बजट शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित राशि से होगा।

12. इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय नियमावली एवं सरकारी प्रावधानों के आलोक में नियमानुसार सभी प्रक्रिया को अपनाते हुए किया जाएगा।

13. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 322/वि., दिनांक–28.01.2002, 1800/वि., दिनांक–15.07.2003 एवं पत्रांक–338 दिनांक–28.03.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चत रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

15. यदि आवंटित राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं किये जाने की संभावना हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक–15.03.2026 के पूर्व अवश्य कर दिया जाय।

16. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन

Sd/- 04/XI

(चन्द्रशेखर)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 76/2117 राँची, दिनांक– 06-11-2025

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, झारखण्ड/अपर समाहर्त्ता, पलामू/जिला कोषागार पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Sd/- 04/XI/XXV

सरकार के सचिव